कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता।

क्रमांक : स्था. / 2024 / ....17....... दिनांकः....19.....जनवरी, 2024

–: कार्यालय–आदेश :–

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / अधीनस्थ न्यायालय / आशुलिपिक / 2023 / 1515 दिनांक 28.07.2023 राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)151/2022/67 दिनांक 16.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (अंग्रेजी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह / दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी. (नियम) / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23700 / – रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं:–

S.N.	Name of Candidate	Date of Birth	Merit No.	Roll No.	Gender	Original Category	Allotted Category
01	SONIA D/O BHAGAT RAM , HOUSE NO. 16/33, PATEL NAGAR, HISAR (HARYANA) - 125001	08-02-2001	08	16164	F	GEN	GEN

1. सभी नियुक्तियॉं आशुलिपिक ग्रेड तृतीय की संयुक्त परीक्षा, 2023 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेंगी।

2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।

4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

19.01.2024

6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।

7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।

8. इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।

10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता व कम्प्युटर योग्यता के संबंध में समस्त अंकतालिका/प्रमाण–पत्र असल व एक–एक छाया प्रति साथ लेकर उपस्थित आवें।

(मदनलाल भाटी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता। 19/01/2024

<u>रजिस्टर्ड डाक से प्राप्ति रसीद सहित</u>

क्रमांक : 395-397 स्था. दिनांकः 19 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. प्रभारी अधिकारी, (लेखा शाखा) जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता ।
2- सोनिया पुत्री श्री भगतराम, मकान नम्बर 16/33, पटेल नगर, हिसार (हरियाणा)–125001
3. व्यक्तिगत पत्रावली सोनिया
4. रक्षित पत्रावली ।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता। 19/01/2024